

अहमदाबाद व ता.
ता.माली से जाते
उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

फैसल संख्या :- 279/2022

निर्णय दिनांक :- 15.06.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :-

राजस्थानभूदानयज्ञबोर्ड खातेदार छीतर पुत्र छोगा जाति रेगर निवासी नयागांव तहसील देवली जिला-टोंक (राज.)

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला-टोंक (राज.)

-अप्रार्थी पक्ष-

उपस्थित :-

श्री रमेश कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार
देवली

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 247 ख0नं0 648 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला-टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। उक्त भूमि का पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद नही है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 में दर्ज आराजी खाता संख्या 247 ख0नं0 648 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला-टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

01.06.22
उपखण्ड अधिकारी
देवली